

-20 4-

8975

21/6/91

आर्वालय भूमि अवाप्ति अधिकारी, नगर विकास वीस्योजनाएं, जयपुर।
। जयपुर विकास प्राधिकरण, भवन ।

क्रमांक भू.अ/वी.व/91/

दिनांक 12/6/91

Immediate

21/6/91

DLF
HCA

विषय:- जयपुर विकास प्राधिकरण को अपने कृत्यों के निर्वहन व विकास कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु ग्राम कपोधावास लक्ष्मीन जयपुर में भूमि अवाप्ति बाबत [पृथ्वीराज नगर योजना]

सूचना संख्या :

1.	30/88
2.	32/88
3.	33/88
4.	28/88
5.	27A/88
6.	27/88
7.	37/88
8.	36/88
9.	35/88
10.	34/88



अ वा र्क

उपरोक्त विषयान्तर्गत भूमि को अवाप्ति हेतु राज्य सरकार नगरीय विकास एवं आवासन विभाग द्वारा केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम 1994 [1984] का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 1 को धारा 4 [1] के तहत क्रमांक प-6[15] नंका/11/87 दिनांक 6-1-1988 तथा गजट प्रकाशन राजस्थान राज-पत्र दिनांक 7 अगस्त 1988 को कराया गया।

भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा धारा 5 ए को रिपोर्ट राज्य सरकार को भेजने के उपरान्त राज्य सरकार के नगरीय विकास एवं आवासन विभाग द्वारा भूमि अवाप्ति अधिनियम को धारा 6

भूमि अवाप्ति अधिकारी
नगर विकास योजनाएं
जयपुर

के प्रावधानों के अन्तर्गत धारा 6 का गजट प्रकाशन क्रमांक प-6 [15] नं. 3/87 दिनांक 28-7-1989 का प्रकाशन राजस्थान राज-पत्र जून 31, 1989 को किया गया।


राज्य सरकार नगरीय विकास एवं आवासन विभाग द्वारा जो धारा 6 का गजट प्रकाशन कराया गया उसमें ग्राम चकपोषावास तहसील जयपुर में अवांस्थीन भूमि की स्थिति इस प्रकार बताई गई है :-

क्र.सं.	मु.नं.	ख.नं.	आवेदा/हितधारी का नाम	अवांस्थीन भूमि का खं.सं.
1.	2.	3.	4.	5.
1.	30/88	68	श्री रतन पुत्र मंगला हि. 1/3 बदरी पुत्र चन्दा हि. 1/3 सुडा, गोविन्दा, बजोड धासी पुत्रान प्रताप हि. 1/6	17-14
2.	32/88	159 161	श्री भूरा पुत्र काना	01-15 05-19 <hr/> 07-14
3.	33/88	162	श्री श्योचन्दा, रामकुमार, राम सहाय पि० प्रताप	07-96
4.	28/88	21 21/320	श्री आनन्दीलाल, लक्ष्मीनारायण पुत्रान चन्दा हि. 1/2 श्री भोस्वा पुत्र मागु	13-11 <hr/> 03-03 <hr/> 16-14
5.	27ए/88	33 34 36	श्री चन्दा पुत्र गोविन्दा हि. 1/4 भोस्वा पुत्र मागु हि. 1/2 नानु पुत्र गोपी हि. 1/4	00-07/10 00-06 00-03 <hr/> 00-12
6.	27/88	20 22 25 26 27 31 32	श्री आनन्दीलाल, लक्ष्मीनारायण पि० चन्दा, हि. 1/2 श्री सुरेन्द्र सिंह पुत्र मोहन सिंह, ललित किशोर पुत्र भीरो लाल हि. 1/2	28-18 06-12 00-01 03-17 01-10 02-13 01-03 <hr/> 44-14



श्री
भूमि अवाप्ति अधिकारी
नगर विकास योजनाएँ
जयपुर

1.	2.	3.	4.	5.
7.	37/88	228	श्री बह्ला, अम्बालाल पि० साधु राम जाति अहीर	16-00
8.	36/88	166	श्री चौधु, गोपाल पि० काना हि. 5, श्री धीसा पुत्र नारायण हि. 5, श्री रुडा, नानु पि० मोती हि. 4, श्री गोविन्दा पुत्र भुवाना हि., श्री सुवा, मेरु, छोद, लाला व पुत्रान ताच्या हि. अहीर	17-13
9.	35/88	164 165	श्री कजोड पुत्र चन्दा, श्री सुन्दर पुत्र श्री गणेश	13-19 00-01- 14-00
10.	34/88	163	श्री रुडा, लाला, तेजा, गोस्या पुत्रान उदा हि. 1/2 श्री सुवा, छोद, बंशी, भोस्विया, लाला पि० ताच्या हि. 1/2	13-18



क्र० 01 मु० नं० 30/88, खसरा नं० 68

धारा 6 के गजट नोटिफिकेशन में खसरा नम्बर 68 रकबा 17 बीघा 14 बिस्वा ग्राम चकपोधावास तहसील जयपुर में श्री रतन पुत्र मंगला हिस्सा 1/3, बदरी पुत्र चन्दा हि. 1/3, सुडा, गोविन्दा, कजोड, धासी पुत्रान प्रताप हि. 1/6 के नाम दर्ज हैं। केन्द्रीय भूमि अधिस्ति अधिकानिम को धारा 9 एवं 10 के अन्तर्गत दिनांक 3-4-91 को तामोल कुनिन्दा व रजि० ए० डी० जारी किये गये। तामोल कुनिन्दा की रिपोर्ट के अनुसार छातेदारान / हितधारान को नोटिस सामोल कराये गये जिसमें दिनांक 15-5-1991 को आवालय में उपस्थित होना था। इसके उपरान्त दिनांक 7-5-1991 को नव ज्योति व नव-भारत टाइम्स में धारा 9 एवं 10 का नोटिस छातेदारान हितधारान को प्रकाशन कराया गया। बावजूद उपरोक्त नोटिस तामोल के छातेदारान/हितधारान अनुपस्थित रहे। अतः छातेदारान/हितधारान के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

ज्योति नोटिस
११ दिनांक
भूमि अधिस्ति अधिकारी
नगर विकास योजना
जयपुर

क्र०सं०02 मु०सं०032/88 ख०नं०159, 161

धारा 6 के गजट नोटिफिकेशन में खसरा नम्बर 159 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा व खसरा नं० 161 रकबा 5 बीघा 19 बिस्वा श्री भुरा पुत्र काना ग्राम चकपोशावास तहसील जयपुर में इनके नाम दर्ज हैं। केन्द्रीय भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 9 एवं 10 के अन्तर्गत दिनांक 3-4-91 को ~~एक~~ ^{नोटिस} ~~खालेदारान/हितधारान~~ को तामोल कुनिन्दा एवं रजि०ए०डी० द्वारा जारी किया गया। तामोल कुनिन्दा की ~~हस्तिया रिपोर्ट~~ रिपोर्ट के अनुसार ~~खसरा~~ परिवार के व्यक्त सदस्यों को तामोल कराया गया। इसके उपरान्त दिनांक 7-5-1991 को ^{नव} ज्योति एवं नव भारत टाइम्स समाचार पत्र के माध्यम से धारा 9 एवं 10 का नोटिस ^{पुलित} तामोल कराया गया। जिसमें न्यायालय में दिनांक 15-5-91 को उपस्थित होना था। बावजूद उपरोक्त नोटिस तामोल के खालेदारान/हितधारान अनुपस्थित रहे। अतः खालेदारान/हितधारान के विरुद्ध एक तरफ कार्यवाही जमल में लाई गई।




क्र०सं०03 मु०नं० 33/88, ख०नं० 162

धारा 6 के गजट नोटिफिकेशन में खसरा नम्बर 162 रकबा 7 बीघा 6 बिस्वा ग्राम चकपोशावास तहसील जयपुर में श्री शयोबन्दा, राम कुमार, राम सहाय पि० प्रताप के नाम दर्ज हैं। केन्द्रीय भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 9 एवं 10 के अन्तर्गत दिनांक 3-4-91 को ~~खालेदारान~~ हितधारान को नोटिस तामोल कुनिन्दा, रजि०ए०डी० द्वारा तामोल कराये जाने हेतु जारी किये गये। तामोल कुनिन्दा की ~~हस्तिया रिपोर्ट~~ रिपोर्ट के अनुसार खालेदारान/हितधारान के परिवार के व्यक्त सदस्य को तामोल कराया गया। इसके उपरान्त दिनांक 7-5-1991 को ^{नव} ज्योति एवं नव भारत टाइम्स ^{पुलित} में धारा 9 एवं 10 का नोटिस खालेदारान/हितधारान को प्रकाशन कराया गया। जिसमें दिनांक 15-5-1991 को न्यायालय में उपस्थित होना था। बावजूद नोटिस तामोल के खालेदारान/हितधारान अनुपस्थित रहे। अतः खालेदारान/हितधारान के विरुद्ध एक तरफ कार्यवाही जमल लाई गई।

श्रीम अर्वादि अधिकारी
नगर विकास योजनाएँ
जयपुर

क्र०सं० 4 मु०नं० 28/88 ख०नं० 21, 21/320

धारा 6 के गजट नोटिफिकेशन में ख०नं० 21 रकबा 13 बीघा
 11 बिस्वा एवं ख०नं० 21/320 रकबा 3 बीघा 3 बिस्वा ग्राम चकपोथवास
 तहसील जयपुर में श्री ^{के नाम दर्ज} ह जानन्दोलाल, लक्ष्मीनारायण पुत्रान चन्दा हि० 1/2
 भोसिया पुत्र मार्गु ~~विश्वनाथ~~ हैं। केन्द्रीय भूमि अधिवास अधिनियम की
 धारा 9 एवं 10 के अन्तर्गत दिनांक 3-4-91 को तामोल कुनिन्दा एवं
 रजि०ए०ओ० के माध्यम से तामोल कराये जाने हेतु जारी किये गये। तामोल
 कुनिन्दा की हल्फिया रिपोर्ट के अनुसार खातेदारान/हितधारान के परिवार
 के ~~व्यक्त~~ सदस्य को तामोल कराया गया। इसके उपरान्त दिनांक 7-5-91
 को नव भारत टाइम्स व नव ज्योति के माध्यम से धारा 9 एवं 10 का
 नोटिस खातेदारान/हितधारान के नाम प्रकाशन कराया गया। जिसमें
 दिनांक 15-5-91 को न्यायालय में उपस्थित होना था। बावजूद नोटिस
 तामोल के खातेदारान/हितधारान अनुपस्थित रहे। अतः खातेदारान/
 हितधारान के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल लाई गई।



क्र०सं० 5 मु०नं० 27ए/88 ख०नं० 33, 34, 56

धारा 6 के गजट नोटिफिकेशन में ख०नं० 33 रकबा 3 बिस्वा,
 ख०नं० 34 रकबा 6 बिस्वा, ख०नं० 36 रकबा 3 बिस्वा, ^{ग्राम चकपोथवास}
 तहसील जयपुर में श्री चन्दा पुत्र गोविन्दा हिस्सा ~~1/4~~ 1/4, भोसिया
 पुत्र मार्गु हि० 1/2, नानू पुत्र गोपी हि० 1/4 के नाम दर्ज हैं। केन्द्रीय
 भूमि अधिवास अधिनियम की धारा 9 एवं 10 के अन्तर्गत खातेदारान/
 हितधारान को नोटिस तामोल कुनिन्दा व रजि०ए०ओ० द्वारा
 तामोल कराये जाने हेतु जारी किये गये। तामोल कुनिन्दा की हल्फिया
 रिपोर्ट के अनुसार खातेदारान/हितधारान के परिवार के ~~व्यक्त~~ सदस्य
 को तामोल कराया गया। इसके उपरान्त दिनांक 7-5-91 को ^{नव}
 ज्योति व नव भारत टाइम्स समाचार पत्र के माध्यम से धारा 9 एवं 10
 का नोटिस खातेदारान/हितधारान के नाम प्रकाशन कराया गया। जिसमें
 दिनांक 15-5-91 को न्यायालय में उपस्थित होना था। बावजूद नोटिस
 तामोल के खातेदारान/हितधारान अनुपस्थित रहे। अतः खातेदारान/
 हितधारान के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल लाई गई।

भूमि अधिवास अधिकारी
 नगर विकास योजना
 जयपुर

क्र० सं० 06 मु० सं० 027/88, ख० सं० 20, 22, 25, 26, 27, 31, 32,

धारा 6 के गजट नोटिफिकेशन में ख० सं० 20 ख० सं० 28 बीघा 18 बिस्वा, ख० सं० 22 ख० सं० 6 बिघा 12 बिस्वा, ख० सं० 25 ख० सं० 1 बिस्वा, ख० सं० 26 ख० सं० 3 बीघा 17 बिस्वा, ख० सं० 27 ख० सं० 8 बीघा 10 बिस्वा, ख० सं० 31 ख० सं० 2 बीघा 13 बिस्वा, ख० सं० 32 ख० सं० 1 बीघा 3 बिस्वा ग्राम चवपीथावात तहसील जयपुर में जानन्दीलाल, लक्ष्मीनारायण पि० चन्दा हि० 1/2, सुरेन्द्र सिंह पुत्र मोहन सिंह, ललित विधीर पुत्र भोती लाल हि० 1/2 के नाम दर्ज हैं। केन्द्रीय भूमि अधिवास अधिनियम की धारा 9 एवं 10 के अन्तर्गत छातेदारान/हितधारान को दिनांक 3-4-91 को नोटिस तामील कुनिन्दा व रजि० ए० जी० से छ तामील कराये जाये जाने हेतु जारी किये गये। तामील कुनिन्दा को हरिष्मता रिपोर्ट के अनुसार छातेदारान/हितधारान के परिवार के व्यक्त सदस्य को तामील कराया गया। इसके उपरान्त दिनांक 7-5-91 को नव ज्योति व नव भारत टाइम्स समाचार पत्र के माध्यम से छातेदारान/हितधारान को धारा 9 एवं 10 के नोटिस का प्रकाशन कराया गया। जिसमें दिनांक 15-5-91 को न्यायालय में उपस्थित होना था। बाक्युद नोटिस तामील के छातेदारान/हितधारान अनुपस्थित रहे। अतः छातेदारान/हितधारान के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल चलाई गई।


क्र० सं० 07/88 मु० सं० 37/88 ख० सं० 228

धारा 6 के गजट नोटिफिकेशन में ख० सं० 228 ख० सं० 16 बीघा ग्राम चवपीथावात तहसील जयपुर में श्री दहला, अम्बालाल पि० लक्ष्मी राम जाति अहिर के नाम दर्ज हैं। केन्द्रीय भूमि अधिवास अधिनियम की धारा 9 एवं 10 के अन्तर्गत दिनांक 3-4-91 को तामील कुनिन्दा व रजि० ए० जी० द्वारा छातेदारान/हितधारान को तामील कराये जाने हेतु नोटिस जारी किया गया। तामील कुनिन्दा को हरिष्मता रिपोर्ट के अनुसार छातेदारान/हितधारान परिवार के 8000 व्यक्त सदस्य को तामील कराया गया। इसके उपरान्त दिनांक 7-5-91 को नव ज्योति व नव भारत टाइम्स समाचार पत्र में छातेदारान/हितधारान को धारा 9 एवं 10 के नोटिस का प्रकाशन कराया गया जिसमें दिनांक 15-5-91 को न्यायालय में उपस्थित होना था। बाक्युद नोटिस तामील के छातेदारान/हितधारान अनुपस्थित रहे। अतः छातेदारान/हितधारान के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल चलाई गई।



भूमि अधिवास अधिकारी
कृषि विकास योजना
जयपुर

धारा 6 के गजट नोटिफिकेशन में ख.नं. 166 रकबा 17 बोधा 13 बिस्वा ग्राम चकपोशावास तहसील जयपुर में चौधू चौधू, गोपाल, पि० काना हि.5, धीसा पुत्र नारायण हि.5, सहा, नानु, पि० मोतो हि.4 गोविन्दा पुत्र भुवाना हि., सुवा, भरु, छोद, लाला पुत्रान तान्या हि., अहोर के नामक दर्ज हैं। केन्द्रोष भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 9 एवं 10 के अन्तर्गत दिनांक 5-4-91 को तामोल कुनिन्दा व रजि०प० जी 0 द्वारा खातेदारान/हितधारान को नोटिस तामोल कराये जाने हेतु जारी किये गये। तामोल कुनिन्दा की हल्फिया रिपोर्ट के अनुसार खातेदारान/हितधारान को तामोल नोटिस तामोल कराये गये। पोस्टमेन ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि खातेदारान/हितधारान ने नोटिस लेने से इन्कार किया। इसके बावजूद दिनांक 7-5-1991 को नव ज्योति व नव भारत टाइम्स समाचार पत्र के माध्यम से धारा 9 एवं 10 के नोटिस खातेदारान/हितधारान के नाम प्रकाशन कराया गया जिसमें दिनांक 15-5-91 को न्यायालय में उपस्थित होना था। बावजूद उपरोक्त नोटिस तामोल के खातेदारान/हितधारान अनुपस्थित रहे। अतः खातेदारान/हितधारान के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल लाई गई।



क्र०सं०९ मु०नं० ३५/८८ , ख.नं. १६४, १६५

धारा 6 के गजट नोटिफिकेशन में ख.नं. 164 रकबा 13 बोधा 19 बिस्वा, ख.नं. 165 रकबा। बिस्वा ग्राम चकपोशावास तहसील जयपुर में श्री कजोड पुत्र चन्दा, श्री सुन्दर पुत्र गणेश के नाम दर्ज हैं। केन्द्रोष भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 9 एवं 10 के नोटिस दिनांक 3-4-91 जारी किये। तामोल कुनिन्दा की हल्फिया रिपोर्ट के अनुसार खातेदारान/हितधारान ने नोटिस लेने से इन्कार करने पर नोटिस चस्था दो गवाह के सामने किया गया। पोस्ट मेन की रिपोर्ट में लिखा है कि खातेदारान/हितधारान ने नोटिस लेने से इन्कार किया। इसके उपरान्त दिनांक 7-5-91 को नव ज्योति व नव भारत टाइम्स समाचार पत्र के माध्यम से धारा 9 एवं 10 का नोटिस का प्रकाशन कराया गया। जिसमें दिनांक 15-5-91 को न्यायालय में उपस्थित होना था। बावजूद नोटिस तामोल के खातेदारान/हितधारान अनुपस्थित रहे। अतः खातेदारान/हितधारान के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाने लाई गई।

तामोल कुनिन्दा रिपोर्ट दिनांक 21/05/25 को 5/05/25

भूमि अवाप्ति अधिकारी
नगर विकास योजनाएं
जयपुर

क्र०सं० 10 क्र०सं० 34/88 सं० नं० 163

धारा 6 के गजट नोटिफिकेशन में सं० नं० 163 रकबा 13 बीघा 18 बिस्वा ग्राम चकपोयावास तहसील जयपुर में समूह संटा, लाला, तेजा, गोस्विया पुत्रान उदा हि० 1/2 सुवा, छोट, बन्शी, भास्विया, लाला पिठ ताच्या हि० 1/2 के नाम दर्ज हैं। केन्द्रीय भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 9 एवं 10 के अन्तर्गत दिनांक 3-4-91 को नोटिस सातेदारान् हिस्तेधारान को जारी किये गये। तामोल कुनिन्दा को हर्षिया रिपोर्ट के अनुसार सातेदारान् हिस्तेधारान परिवार के व्यस्क सदस्य को तामोल कराया गया। रजि० ए० के पोछे पोस्टमेन ने रिपोर्ट की है कि सातेदारान् हिस्तेधारान के नोटिसोके से इन्कार किया। इसके उपरान्त दिनांक 7-5-91 को नव ज्योति व नव भारत टाइम्स समाचार पत्र के माध्यम से धारा 9 एवं 10 के नोटिस का प्रकाशन कराया गया। सातेदारान् हिस्तेधारान को दिनांक 15-5-91 को न्यायालय में उपस्थित होना था। उपरोक्त तामोल के बावजूद सातेदारान् हिस्तेधारान अनुपस्थित रहे। अतः सातेदारान् हिस्तेधारान के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।



केन्द्रीय भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 9 (1) के अन्तर्गत उपरोक्त मुकदमात में सार्वजनिक नोटिस भी तामोल कुनिन्दा द्वारा संबंधित तहसील/पंचायत समिति, नोटिस बोर्ड व ग्राम पंचायत व तरपंच को दिये व चस्वा कराये गये जो 29-4-91 को जारी किये गये।

मुवाकजा निश्चयन :

जहाँ तक उपरोक्त सं० नं० के सातेदारान् हिस्तेधारान को मुवाकजा निश्चयन का प्रश्न है उपरोक्त सभी मामलों में एक तरफा कार्यवाही

भूमि अधिग्रहण अधिकारी
नगर विकास योजना
जयपुर

होने के कारण खं जातेदारान/हितदारान द्वारा कोई क्लेम पेश नहीं करने के कारण जातेदार/हितदारान के की ओर से मुआवजा राशि मांग का कोई प्रश्न नहीं उठता ।

लेकिन नेचुरल जस्टिस के सिद्धान्त के अनुसार इस सम्बन्ध में जयपुर विकास प्राधिकरण जिसके लिए भूमि अर्वाप्ति की जा रही है का भी पक्ष ज्ञात किया गया जयपुर विकास प्राधिकरण के सचिव ने पत्र क्रमांक टी.डी.आर./91/336 दिनांक 5-6-91 द्वारा इस सम्बन्ध में सूचित किया है कि धारा 4 के गजट नोटिफिकेशन के समय ग्राम चक पीथावास में 14,000/- रुपये प्रति बीघा के अनुसार भूमियों का रजिस्ट्रेशन हुआ था इसीलिए जहां तक इनके पक्ष का सम्बन्ध है यह दर उचित है ।

हमने इस सम्बन्ध में उप मंजूर खं तहसीलदार तहसील ^{जयपुर} के यहां से अपने स्तर पर भी जानकारी प्राप्त की तो यह ज्ञात हुआ कि धारा 4 के गजट नोटिफिकेशन के समय भूमि की दर इससे अधिक नहीं थी । तहसीलदार जयपुर विकास प्राधिकरण प्रथम ने भी अपने यू.ओ.नोट दिनांक 8-5-91 द्वारा तहसील ^{जयपुर} के धारा 4 के नोटिफिकेशन के समय जमीन की विक्रय दर की बताई है ।

लेकिन इस न्यायालय द्वारा पूर्व में भी इसी क्षेत्र के आसपास की भूमि का मुआवजा राशि 24,000/- रुपये प्रति बीघा की दर से अर्वाड जारी किये गये जिनका अनुमोदन राज्य सरकार से प्राप्त हो चुका है जयपुर विकास प्राधिकरण के अभिभाषक श्री के.पी. मिश्रा ने कोई लिखित में उत्तर नहीं दे कर मौखिक रूप से यह निवेदन किया कि यदि मुआवजा राशि 24,000/- रुपये प्रति बीघा की दर से तय की जात है तो जयपुर विकास प्राधिकरण को कोई आपत्ति नहीं है क्योंकि कुछ समय पूर्व भी इसी न्यायालय द्वारा इस भूमि के आसपास के क्षेत्र में 24,000/- रुपये प्रति बीघा की दर से अर्वाड पारित किये गये हैं ।

अतः इस मामले में भी इस भूमि का मुआवजा राशि 24,000/- रुपये प्रति बीघा की दर से दिया जाना उचित मानते हैं खं हम यह भी मानते हैं कि धारा 4 के गजट नोटिफिकेशन के समय भूमि की कीमत यही थी ।

केन्द्रीय भूमि अर्वाप्ति अधिनियम के अन्तर्गत अर्वाड पारित करने के लिये 2 वर्ष की समयावधि नियत है लेकिन जातेदार/हितदारान द्वारा कोई क्लेम पेश नहीं किया गया है इसीलिए एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई है ।

जहां तक ~~ह~~ पेड़, पौधे, इंस, सड़के खं भूमि पर क्लेम अन्य स्ट्रक्चर का प्रश्न है जातेदारान द्वारा कोई तकमीना पेश नहीं किया गया और ना ही जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा तकनीकी रूप से अनुमोदित तकमीने पेश किये गये हैं ऐसी स्थिति में स्ट्रक्चर यदि कोई हो तो उसके मुआवजे का निर्धारण नहीं किया जा रहा है जिसका निर्धारण बाद में जयपुर विकास प्राधिकरण से तकनीकी खं अनुमोदित तकमीने प्राप्त होने पर विचार करके नियमानुसार निर्धारण किया जायेगा ।

हम इस भूमि के मुआवजे का निर्धारण तो 24,000/- रुपये प्रति बीघा की दर से करते हैं लेकिन मुआवजे का भुगतान विधिक स्वतंत्र से मालिकाना एक संबंधी दस्तावेजात पेश करने पर ही किया जायेगा । मुआवजे का निर्धारण परिशिष्ट "ए" के अनुसार जो इस अर्वाड का भाग है के अनुसार निर्धारित किया जा रहा है ।



भूमि अर्वाप्ति अधिनियम
जयपुर विकास प्राधिकरण

केन्द्रीय भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 23(1)-(ए) एवं 23(2) के अन्तर्गत मुआवजे की उपरोक्त राशि पर नियमानुसार 30 प्रतिशत सीलेशन एवं 12 प्रतिशत अतिरिक्त राशि भी देय होगी जिसका निर्धारण परिशिष्ट "ए" में मुआवजे के साथ दर्शाया गया है।

अतिरिक्त निदेशक [प्रथम] एवं सक्षम अधिकारी नगर भूमि एवं नगर विकास विभाग ने आने पत्र क्रमांक 918 दिनांक 31-5-91 द्वारा इस कार्यालय को सूचित किया है कि पृथ्वी राज नगर योजना के समस्त 22 ग्राम जयपुर नगर संकुल सीमा में सम्मिलित है एवं अल्टर अधिनियम 1976 से प्रभावित है लेकिन इन्होंने यह सूचना नहीं दी है कि अल्टर अधिनियम की धारा 10(3) की अधिसूचना प्रकाशित करवा दी है अथवा नहीं। ऐसी स्थिति में अवार्ड केन्द्रीय भूमि अधिग्रहण अधिनियम के अन्तर्गत पारित किये जा रहे हैं।

अतः यह अवार्ड दिनांक 12-6-91 को पारित कर राज्य सरकार को अनुमोदनार्थ प्रेषित किया जा रहा है।

भूमि अधिग्रहण अधिकारी
नगर विकास परियोजनाएँ, जयपुर
भूमि अधिग्रहण अधिकारी
जयपुर विकास क्षेत्र नियंत्रण, जयपुर
जयपुर

अह अवार्ड आज दि. 17-7-91 को राज्य सरकार के पत्र क्रमांक ए-6 (15) ग. वि. का. 187 पार्स दिनांक 16-7-91 के द्वारा अवार्ड अनुमोदित होकर जापूट हुआ है। आज दिनांक 17-7-91 को अवार्ड से इजाजत सुनाया गया।

भूमि अधिग्रहण अधिकारी
नगर विकास परियोजनाएँ,
जयपुर

परीक्षा - ५

ग्राम - चकपीणवास 72

क्र.सं.	सुकदमा नम्बर	आवेदक/हितधारी का नाम	खत नम्बर	रकबा	मुआयजा राशि	अतिरक्त 12% राशि	अंशोतिशय	कुल योग
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	30/88	रतन पुत्र मंगला 1/3 बहरी पु. बन्दा 1/3, चुण्डा, गोविन्दा, कर्नाड यात्री पि. प्रताप 1/6	68	17-14	4,24,800.00	1,49,517.00	1,27,440.00	7,01,757.00
2.	32/88	भुरा पुत्र काना	159 181	01-15 05-19 <u>07-14</u>	1,84,800.00	65,044.00	55,440.00	3,05,284.00
3.	33/88	इशोधन्दा, रामकुमार, राम लक्षय पि. प्रताप	162	07-06	1,75,200.00	61,665.00	52,500.00	2,89,425.00
4.	28/88	आन्नदीलाल, कुशीनारायण पुत्रान बन्दा हि. 1/2 मोरिया पु. मांगु	21 21/320	13-11 03-03 <u>16-19</u>	4,00,000.00	1,41,070.00	1,20,240.00	6,62,110.00
	27/88	बन्दा पु. गोविन्दा हि. 1/8, मोरिया पु. मांगु, 1/2 नागु पु. मोपी 1/4	33 34 36	00-03 00-06 00-03 <u>00-12</u>	14,400.00	5,069.00	4,320.00	23,789.00




 भूमि अधिपति अधिकारी
 नगर विकास योजनाएं
 जयपुर

73

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
6.	27/88	शान्दी लाल, लक्ष्मीनारायण पि. चन्दा, हि. 1/2, सुरेन्द्र सिंह, पुत्र मोहन सिंह लाल विश्वर पुत्र भोरी लाल हि. 1/2	20 22 25 26 27 31 32	28-18 6-12 00-01 3-17 1-10 2-13 1-03 <u>44-14</u>	10,72,800/-	3,77,596.00	3,16,000.00	17,67,196.00
7.	37/88	दहला, अम्बालाल पुत्र साधुराम जाति अहीर	228	16-00	83,84,000/-	1,35,187.00	1,15,200.00	6,34,357.00
8.	36/88	बोधू गोपाल पुत्रान काना हि. 05 श्री बीसा पुत्र नारायण हि. 5 श्री लडा नाथ पुत्रान मोती ही. 4 श्री विन्दा पुत्र भवाना हि. सुआ, श्री जी. लाला पुत्रान तान्या हि. अहीर	166	17-13	4,23,600/-	1,49,095.50	1,27,000.00	6,99,775.50
9.	35/88	श्री कर्णोड पुत्र चन्दा श्री सुन्दर पुत्र गणेश	164 165	13-19 00-01 <u>14-00</u>	3,36,000/-	1,18,262.00	1,00,800.00	5,55,062
	10-34/88	लडा, लाला, तेजा, गोरया, पुत्रान उदा हि. 1/2 सुआ, जी. लाला भोरिया लाला पि. तान्या हि. 1/2	163	13-18	3,33,900/-	1,17,418.00	1,00,000.00	5,51,098.00



नोट: 1. सोलैक्री प्रभ 30% कालम संख्या 6 पर पुस्तकालय गार्ड कर दिया, जमा है।
 2. आर्कॉर्ड नंबर 211 से 12% की गणना करण 4(1) का गजट दिनांक 7-7-88 से
 12-6-1991 तक की गई है।

भूमि अधिग्रहण अधिकारी
 नगर विकास योजनाएं
 जयपुर

क्रमांक : डू.अ./नवि/92/171-172

दिनांक : 17/11/92

:: कार्यालय आदेश ::

: शुद्धि पत्र :

जयपुर विकास प्राधिकरण की प्रस्तावित पुष्पतीराजनगर योजना में मुकदमात ग्राम वक पीथावात तहसील जयपुर के अवार्ड दिनांक 17.7.1991 को घोषित किये जाकर फाईल किये गये थे । सम्बन्धित योजना तडाफा द्वारा पताओं एवं अवार्ड के मिलाप करने पर कुछ टंकण/निषिद्धि मुटिया जात हुई है किन्हे सुद्ध किया जाना आवश्यक है । इस प्रकार की अशुद्धियाँ केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 13 - ए के अन्तर्गत सुद्ध की जा सकती है अतः केन्द्रीय अवाप्ति अधिनियम 1894 [1984] का अधिनियम संख्या 1 की धारा 1-ए के अन्तर्गत टंकण/निषिद्धि संबंधित मुटियों को निम्न प्रकार से संशोधित किया जाता है । यह संशोधन मूल अवार्ड के साथ संलग्न रहेगा ।

संशोधन निम्न प्रकार से हुआ :-

- 11] मुकदमा संख्या 30/88 में खतरा नं. 68 के अवार्ड के पृष्ठ संख्या 2/ती व 3/ती स्वम् परिशिष्ट "ए" के पृष्ठ संख्या 1/ती में तुण्डा, गोविन्दा, कजोड, धाती पुत्रान प्रताप हि. 1/6 के स्थान पर तुण्डा, गोविन्दा, कजोड, धाती पि. प्रताप पटा जायें ।
- 12] मु. न. 32/88 खतरा नम्बर 159, 161 के अवार्ड में अतिदारी के नाम के आगे अहीर पटा जायें ।
- 13] 35/88 खतरा नं. 162 के अतिदारी के अवार्ड में अतिदारी के नाम के आगे अहीर पटा जायें ।
- 14] 28/88 ख. न. 21, 21/320 के अवार्ड में अतिदार श्री मोरिया पिता भांगु के नाम के आगे 1/2 अहीर सा. देह पटा जायें ।
- 15] 27-ए/88 ख. नं. 33, 34, 36 के अवार्ड में अतिदारी के नाम के आगे अहीर पटा जायें ।
- 16] 27/88 ख. न. 20, 22, 25, 26, 27, 51, 52 के अवार्ड के पृष्ठ संख्या 1/ती, 6/ती स्वम् परिशिष्ट "ए" के पृष्ठ संख्या 2/ती में अनन्दीलाल, लक्ष्मीनारायण पिता चन्दा हि. 1/2 सुरेन्द्र सिंह पुत्र मोहन सिंह, ललित किशोर पुत्र मोरीलाल हि. 1/2 के स्थान पर अनन्दीलाल, लक्ष्मीनारायण पिता चन्दा हि. 1/2, सुरेन्द्रसिंह पुत्र मोहन सिंह राजपूत व ललित किशोर पुत्र मोरीलाल यादव हि. 1/2 पटा जायें ।
- 17] 35/88 ख. न. 164, 165 के अवार्ड के अतिदारी के नाम के आगे अहीर सा. देह पटा जायें ।
- 18] 34/88 के ख. न. 163 में अवार्ड के अतिदारी के नामों के अन्त में अहीर पटा जायें ।

भूमि अवाप्ति अधिकारी
 नगर विकास परियोजनाएँ, जयपुर ।

प्रतिलिपि :

1. उपविधि परामर्शी, नगरीय विकास एवं आवाहन विभाग, राजधानी, जयपुर ।
2. सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर ।

भूमि अवाप्ति अधिकारी

जोयनी गैर

22/11/92